



हुक्म का
अहकाम
में जारी

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन-101/2025 अनगन रिङ्गलराम बनाम धर्माराम वगैरा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 19.01.2026 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त होने से मिशल ईलतवा होकर दिनांक 20.01.2026 को पेश हो।  | |
| 20.01.2026 | <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओ पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेतों की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने वावत् नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो। </p> | |

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतरा



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

दिनांक : 20.01.2026

क्रमांक : रा.आ./2026/748

प्रार्थी
रिड़मलराम पुत्र रामाराम जाति जाट
निवासी सगरामोणी गोदारों की ढाणी,
बायतु चिमनजी तहसील बायतु, जिला
बालोतरा।

बनाम

विप्रार्थी
धर्माराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट
निवासी सगरामोणी गोदारों की ढाणी,
बायतु चिमनजी तहसील बायतु, जिला
बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 101/2025

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा सगरामोणी गोदारों की ढाणी पटवार हल्का बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 24, 25, 411, 484 रकबा क्रमशः 0.1942, 0.0081, 20.4192, 2.1600 हैक्टियर व मौजा राव सोनाजी नगर पटवार हल्का बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 47, 56, 587/55, 588/55 रकबा क्रमशः 24.6421, 0.0971, 0.0081, 1.6423 हैक्टियर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है, एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 1000/-जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : रा.आ./2026/749-754

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. भु-अभिलेख निरक्षक बायतु भोपजी।
3. पटवार हल्का बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बालोतरा को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी रिड़मलराम पुत्र रामाराम वगैरा 15
5. विप्रार्थी धर्माराम पुत्र मुकनाराम वगैरा 25
6. पुलिस थानाधिकारी बायतु।

(कल्पित शिकरान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बालोतरा
दिनांक : 20.01.2026

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतरा